न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/222

1. मदन लाल आत्मज श्री मांगीलाल जाति ओसवाल जैन निवासी नया कटला रामपुरा, कोटा ।
2. नरेन्द्र कुमार
3. अशोक कुमार पिसरान श्री मांगीलाल जाति ओसवाल जैन निवासी पुरानी धानमण्डी गॉधीचौक कोटा जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री तैजमल जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 27.05.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.10.2021 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 89 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मोतीपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 133 की रकबा 1.47 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि के खातेदार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में भागीरा वल्द भिग्गीलाल जाति ओसवाल (महाजन) गॉधी चौक दर्ज है । उक्त भूमि के साबिक खसरा नम्बर 81/30 थे । वादीगण के पिता मांगीलाल की जाति ओसवाल जैन ने श्री केसरदास आत्मज श्री जीवनदास जी खत्री निवासी मोतीपुरा तहसील लाडपुरा से उसके खाते की ग्राम मोतीपुरा की आराजी खसरा नम्बर 81/30 रकबा 29 बीघा 06

बिस्वा में से 08 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 23.08.1976 को क्रय की थी । मांगीलाल के पिता का नाम मिश्रीमल था । आराजी क्रय करने के पश्चात् नामान्तरकरण दिनांक 20.01.1978 को मांगीलाल आत्मज श्री मिश्रीमल के नाम से खोला गया । सेटलमेंट विभाग ने गलती से मांगीलाल आत्मज मिश्रीमल के स्थान पर भागीरा वल्द भिग्गीलाल दर्ज कर दिया जो एक लिपिकीय- त्रुटिहै तब से यह गलती राजस्व रिकॉर्ड में चली आ रही है । मांगी लाल आत्मज मिश्रीमल का देहान्ता हो चुका और वादीगण ही श्री मांगीलाल जी के प्रथमश्रेणी के वारिसान हैं । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती का अमल दरामद करावें ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम मोतीपुरा की आराजी खसरा नम्बर 133 की रकबा 1.47 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर भागीरा वल्द भिग्गीलाल ओसवाल जैन गॉधी चौक खातेदार के स्थान पर मांगीलाल आत्मज मिश्रीमल जाति ओसवाल जैन दर्ज किया जावे एवं मांगीलाल की मृत्यु हो जाने के कारण उसके वारिसान वादीगण मदनलाल, नरेन्द्र कुमार, अशोक कुमार पिसरान मांगीलाल जाति ओसवाल पुरानी धानमण्डी गॉधी चौक कोटा का खातेदार दर्ज करने का आदेश पारित किया जावे ।

4. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25.10.2021 के द्वारा वाद वादीगण पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में खारिज कर दिया ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.10.2021 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट के पिता मांगीलाल आत्मज मिश्रीमल ने 08 बीघा भूमि पूर्व खातेदार से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय की जिसका इंतकाल भी मांगीलाल आत्मज श्री मिश्रीलाल के नाम से खुला । सेटलमेंट ने लिपिकीय त्रुटि के कारण मांगीलाल आत्मज मिश्रीलाल के स्थान पर भगीरा आत्मज भिग्गीलाल ओसवाल दर्ज कर दिया जिसे संशोधन कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया था जिसे परीक्षण न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से वाद खारिज किया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.10.2021 निरस्त फरमाया जावे तथा वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट के पिता मांगीलाल आत्मज मिश्रीमल ने 08 बीघा भूमि पूर्व खातेदार से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय की जिसका इंतकाल भी मांगीलाल आत्मज श्री मिश्रीलाल के नाम से खुला । सेटलमेंट ने लिपिकीय त्रुटि के कारण मांगीलाल आत्मज मिश्रीलाल के स्थान पर भगीरा आत्मज भिग्गीलाल ओसवाल दर्ज कर दिया जिसे संशोधन कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया था जिसे परीक्षण न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से वाद खारिज किया है । अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति, नामान्तरकरण दिनांक 20.01.1978 की प्रमाणित प्रति जो कि मांगीलाल आत्मज मिश्रीलाल के नाम है तथा उसके पश्चात् सेटलमेंट का रिकॉर्ड प्रस्तुत

किया जिसमें नामान्तरकरण का इन्द्राज गलत रूप से भागीरा वल्द भिग्गीलाल जाति ओसवाल (महाजन) गॉधी चौक कोटा के नाम से किया गया था । इसके अलावा मिलान क्षेत्रफल भी संलग्न किया गया था किन्तु परीक्षण न्यायालय ने समस्त दस्तावेजात को देखने बिना ही उक्त अपीलाधी निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.10.2021 निरस्त फरमाया जावे तथा वादग्रस्त आराजी में मृतक मांगीलाल के वारिसान का नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में वादीगण ने अपने वाद को साबित नहीं किया है जबकि वादीगण को अपना वाद स्वयं सिद्ध करना होता है । परीक्षण न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में वादीगण का वाद खारिज किया है । परीक्षण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.10.2021 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । वादी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलान्ट के पिता मांगीलाल आत्मज मिश्रीमल ने 08 बीघा भूमि पूर्व खातेदार से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय की जिसका इंतकाल भी मांगीलाल आत्मज श्री मिश्रीलाल के नाम से खुला । सेटलमेंट ने लिपिकीय त्रुटि के कारण मांगीलाल आत्मज मिश्रीलाल के स्थान पर भगीरा आत्मज भिग्गीलाल ओसवाल दर्ज कर दिया जिसे संशोधन कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया था जिसे परीक्षण न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से वाद खारिज किया है ।

10. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में नकल जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम मोतीपुरा की आराजी खसरा नम्बर 133 रकबा 1.47 हैक्टर भागीरा वल्द भिग्गीलाल जाति ओसवाल (महाजन) गॉधी चौक के नाम खातेदारी में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2025 से 2028 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम मोतीपुरा की आराजी खसरा नम्बर 81/30 रकबा 29 बीघा 06 बिस्वा भूमि केसरदास आत्मज जीवनदास के खातेदारी में दर्ज है । नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2038 से 2057 संलग्न है जिसके अनुसार खाता संख्या 27 में खसरा नम्बर 133 रकबा 1.47 हैक्टर भूमि भागीरा वल्द भिग्गी लाल जाति ओसवालद (महाजन) गॉधी चौक के खातेदारी में दर्ज है । नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2038 से 2057 संलग्न है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 81/30 मिन के हाल खसरा नम्बर 133 रकबा 1.47 हैक्टर कायम किये हैं । नकल नामान्तरकरण रजिस्टर संलग्न है जिसके अनुसार केसरदास की खाते की आराजी खसरा नम्बर 81/30 रकबा 29 बीघा 06 बिस्वा में से मांगीलाल ने दिनांक 23.08.1976 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से 08 बीघा भूमि क्रय की है जिसके नामान्तरकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है । रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.08.1976 की प्रमाणित प्रति संलग्न है । मांगीलाल के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलग्न है ।

11. वादीगण अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में हक घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया था । वाद के समर्थन में दस्तावेजात पेश किये है परन्तु उन दस्तावेजात को न्यायालय में प्रदर्श नहीं करवाया है । वादी अपीलान्ट ने अपने वाद के समर्थन में गवाह मदनलाल का शपथ पत्र पेश किया है परन्तु उन्होंने न्यायालय में उपस्थत होकर अपने

शपथ पत्र की ताईद नहीं की है । वादीगण अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में अपना वाद साबित नहीं किया है । वादी अपीलान्ट ने प्रस्तुत प्रकरण में कथन किया है कि अपीलान्ट के पिता मांगीलाल आत्मज मिश्रीमल ने 08 बीघा भूमि पूर्व खातेदार से जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र के कय की जिसका इंतकाल भी मांगीलाल आत्मज श्री मिश्रीलाल के नाम से खुला । वादी अपीलान्ट द्वारा कथन किया गया है कि खसरा नम्बर 81/30 की 08 बीघा भूमि कय की गई है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 133 रकबा 1.47 हैक्टर हैं, पर उनके द्वारा हक घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का अनुतोष चाहा है । खसरा नम्बर 133 की रकबा 1.47 हैक्टर भूमि बीघा में लगभग 09 बीघा से अधिक होती है । वादग्रस्त आराजी का यह अन्तर किस प्रकार से आया यह भी वादी अपीलान्ट ने स्पष्ट नहीं किया है । वादीगण अपीलान्ट ने ऐसा कोई नया दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे स्पष्ट हो कि अपीलान्ट के पक्ष में हक घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का वाद डिकी किया जावे । इस प्रकार वादीगण अपीलान्ट अपना वाद सिद्ध नहीं कर पाये हैं ।

12. हमने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी का अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से हम सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 25.10.2021 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 27.05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2021/222

1. मदन लाल आत्मज श्री मांगीलाल जाति ओसवाल जैन निवासी नया कटला रामपुरा, कोटा ।
2. नरेन्द्र कुमार
3. अशोक कुमार पिसरान श्री मांगीलाल जाति ओसवाल जैन निवासी पुरानी धानमण्डी गॉधीचौक कोटा जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.10.2021 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अयिधकारी, कोटा जिला कोटा ।

वाद संख्याः 16/दावा/2018

1. श्री मदनलाल पुत्र श्री मांगीलाल जाति ओसवाल जैन निवासी नया कटला रामपुरा कोटा ।
2. श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री मांगीलाल जाति ओसवाल जैन ।
3. श्री आशोक कुमार पुत्र श्री मांगीलाल जाति ओसवाल जैन निवासीगण पुरानी धानमण्डी गॉधी चौक कोटा ।

———वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.10.2021 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 27.05.2022 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री तेजमल जैन एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.10.2021 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 27.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा